भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 170
उत्तर देने की तारीख 13 मार्च, 2023
सोमवार, 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नियोजन संबंधी लक्ष्य

***170 श्री राहुल रमेश शेवाले: डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना चरण-3 (पीएमकेवीवाई 3.0) के अंतर्गत कोई नियोजन लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 2021 और 2022 के दौरान विशेष रूप से पीएमकेवीवाई चरण 3 (पीएमकेवीवाई 3.0) के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र सहित देश भर में कुल और राज्य स्तर पर प्राप्त नियोजन के प्रतिशत का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या पीएमकेवीवाई 3.0 विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में गुणवत्ता कौशल प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नियोजन संबंधी लक्ष्य के बारे में श्री राहुल रमेश शेवाले तथा डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे द्वारा दिनांक 13.03.2023 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 170 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 15.01.2021 को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को बेहतर आजीविका हेतु नियोजनीय बनाने के लिए कौशल प्रदान करना था। चूंकि पीएमकेवीवाई 3.0 मांग आधारित स्कीम थी, इसलिए स्कीम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, एमएसडीई ने विभिन्न पहलों के माध्यम से अल्पावधि प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन की सुविधा प्रदान की थी।

पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल), कोविड योद्धाओं के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया क्रैश पाठ्यक्रम कार्यक्रम और कौशल हब पहल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। नियोजन इस स्कीम का अनिवार्य घटक नहीं था। तथापि, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों के नियोजन की सुविधा के लिए रोज़गार मेलों और शिक्षुता मेलों का आयोजन भी किया गया।

(घ) और (ङ) जी, हां। पीएमकेवीवाई 3.0 महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है। मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उद्योग से जुड़े मांग संचालित राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) पाठ्यक्रम, प्रत्यायित और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण, प्रमाणित प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं के माध्यम से प्रशिक्षण और आकलन, अनिवार्य आधार सक्षम बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, भौतिक और आभासी निरीक्षण दौरे के माध्यम से कड़ी निगरानी, कुशल भारत पोर्टल (एसआईपी) के माध्यम से आद्योपान्त प्रशिक्षण जीवन-चक्र प्रबंधन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

****